GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

S.No.PC-V/296
No.PC-V/97/R-II/48

RBE No.20/2001
Dated 31.1.2001

The GMs/OSDs/CAOs etc.
All Indian Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: Implementation of recommendations of V CPC regarding Stenographers on the Railways.

In pursuance to implementation of recommendations of the V Central Pay Commission, contained in Para 83.230 of their report, instructions were issued vide Board's letter of even number dated 15.9.2000 regarding the level of stenographic assistance to officers in Senior Administrative Grade (SAG) and above in the Zonal Railways.

2. References have been received from a few Railways/ Production Units seeking clarifications on some issues. The points of doubt raised by the Railways/PUs and the clarification thereto are given below:

<table>
<tr><th>Point of doubt</th><th colspan="3">Clarification</th></tr>
<tr><td>(i) Whether the instructions contained in Board's letter dated 15.9.2000 are applicable to Production Units also.</td><td colspan="3">(i) Instructions contained in Board's letter dated 15.9.2000 are applicable to Production Units also.</td></tr>
<tr><td>(ii) Whether the scale Rs.7500-12000 will be in the Group 'B' Gazetted at par with other posts in the grade.</td><td colspan="3">(ii) The scale Rs.7500-12000 will be in the Group 'B' Gazetted at par with other posts in this grade.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(iii) The designation of the posts in the new grades.</td><td colspan="3">The revised designations will be as under:</td></tr>
<tr><td>Pay scale (Rs.)</td><td>Existing designation</td><td>Revised designation</td></tr>
<tr><td>6500-10500</td><td>Sr. Confidential Assistant</td><td>Private Secretary Gr.II.</td></tr>
<tr><td>7500-12000</td><td>Private Secretary</td><td>Private Secretary Gr.I</td></tr>
<tr><td>8000-13500</td><td>-</td><td>Principal Private Secretary Gr.II</td></tr>
<tr><td>(iv) Newly created divisions have OSDs (Gr.Rs.18400-</td><td colspan="3">(iv) In the newly created divisions, OSDs</td></tr>
</table>

22400) instead of DRMs. Whether OSDs are entitled to Stenographic assistance in the Gr. Rs.7500-12000.	in the grade Rs.18400-22400 may be provided with stenographic assistance in the grade Rs 7500-12000.
(v) Clarification regarding the expression "coordinating HODs". In the Mechanical Department of one of the Production Units, there are three SAG officers and seniormost among them is acting as a 'Coordinating HOD'. In other Departments like Personnel, Accounts and Stores only one SAG officer is heading the department. Since these SAG officers are holding independent charge of the departments without any assistance of the other SAG officers, whether they can be equated to coordinating HODs for providing stenographic assistance in the scale Rs.7500-12000.	(v) The intention behind providing higher level stenographic assistance to Coordinating HODs was to recognise the effort involved in coordinating work of several SAG officers in the working of large departments in the Railways. If there are two or more SAG officers in a department in any Zonal Railway/ Production Unit without specific nomination of 'Coordinating HOD' and each one of them is independently putting up papers to the higher authority, stenographic assistance in grade Rs 6500-10500 shall be made available to him, as is admissible to any other SAG officer. Similarly, if there is only one SAG officer in a department in a Railway / Production Unit, the stenographic assistance will be at the level Rs. 6500-10500.
(vi) What will be the stenographic assistance applicable to OSDs in newly created Zones?	(vi) OSDs of the new zones in the grades of Rs 22400-24500 and Rs 18400-22400 shall be provided with stenographic assistance in Grade Rs 8000-13500 and Rs 7500-12000 respectively.
(vii) Since issue of instructions regarding recruitment rules and other conditions for promotion to the upgraded posts will take some more time, whether it is permissible to fill up the posts on ad-hoc basis in order to extend the benefits to the staff presently working with the officers for whom higher grade stenographic assistance is permitted.	(vii) Instructions have been issued vide Board's letter No. E(GP) 2000/2/84 dated 30.1.2001.

Hindi version is enclosed.

(Neera Khuntia)
Director Pay Commission
Railway Board

Dated 31.1.2001

No.PC-V/97/R-II/48
Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी-v/296
सं. पी सी-5/97/आर-2/48

आर बी ई सं. 20/2001
दिनांक : 31.1.2001

महाप्रबंधक/विशेष कार्याधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आदि
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेलों पर आशुलिपिकों के संबंध में पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन.

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों, उनकी रिपोर्ट के पैरा 83.230 में अंर्तविष्ट, के अनुसरण में क्षेत्रीय रेलों में वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड और इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए आशुलिपिकीय सहायता के स्तर के संबंध में बोर्ड के दिनांक 15.9.2000 के समसंख्यक पत्र के तहत अनुदेश जारी किए गए थे.

2. कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए कुछ रेलों/उत्पादन इकाइयों से पत्र प्राप्त हुए हैं. रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा उठाए गए संदिग्ध मुद्दे तथा उनसे संबंधित स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं :

संदेह का मुद्दा	स्पष्टीकरण		
(i) क्या बोर्ड के दिनांक 15.9.2000 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश उत्पादन इकाइयों पर भी लागू हैं ?	(i) बोर्ड के दिनांक 15.9.2000 के पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेश उत्पादन इकाइयों पर भी लागू हैं ?		
(ii) क्या 7500-12000 रू. का वेतनमान इस ग्रेड के अन्य पदों के समान ग्रुप "बी "में होगा.	(ii) 7500-12000 रू. का वेतनमान इस ग्रेड के अन्य पदों के समान ग्रुप "बी "में होगा.		
(iii) नए ग्रेड में पदों का पदनाम	(iii) संशोधित पदनाम निम्नानुसार होंगे :-		
	वेतनमान(रू.)	मौजूदा पदनाम	संशोधित पदनाम
	6500-10500	वरिष्ठ गोपनीय सहायक	निजी सचिव ग्रेड-।।

	7500-12000	निजी सचिव	निजी सचिव ग्रेड-I
	8000-13500	-	प्रधान निजी सचिव ग्रेड-II
(iv) नवसृजित मंडलों पर मंडल रेल प्रबंधकों (18400-22400 रू. का ग्रेड) के बजाए विशेष कार्याधिकारी तैनात हैं. क्या विशेष कार्याधिकारी 7500-12000 की ग्रेड वाली आशुलिपिकीय सहायता के लिए पात्र हैं.	(iv) नवसृजित मंडलों में 18400-22400 रू. के ग्रेड वाले विशेष कार्याधिकारियों को 7500-12000 रू. की ग्रेड वाली आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है.		
(v) "समन्वयकर्ता विभागाध्यक्षों" के संबंध में स्पष्टीकरण. एक उत्पादन इकाई के यांत्रिक विभाग में वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड के तीन अधिकारी हैं और उनमें से वरिष्टतम अधिकारी "समन्वयकर्ता विभागाध्यक्ष" के रूप में कार्य कर रहे हैं. कार्मिक, लेखा तथा भंडार जैसे अन्य विभागों में विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक ग्रेड का केवल एक ही अधिकारी होता है. चूंकि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के ये अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अन्य अधिकारियों की सहायता के बिना अपन विभाग का स्वतंत्र रूप से प्रभार संभालते हैं अतः इन्हें भी 7500-12000 रू. के वेतनमान वाली आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराने के मामले में समन्वयकर्ता विभागाध्यक्ष के समान माना जाए.	(v) समन्वयकर्ता विभागाध्यक्षों के लिए उच्चतर स्तर की आशुलिपिकी सहायता उपलब्ध कराने के पीछे इरादा, रेलों में बड़े विभागों के काम-काज में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के कुछ अधिकारियों के समन्वय संबंधी कार्यों में किए जाने वाले प्रयासों को मान्यता देना था. यदि किसी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के किसी विभाग में "समन्वयकर्ता विभागाध्यक्ष" के विशिष्ट नामांकन के बिना प्रशासनिक ग्रेड के दो या इससे अधिक अधिकारी हैं और प्रत्येक अधिकारी स्वतंत्र रूप से उच्चतर प्राधिकारियों को कागजात प्रस्तुत करता है तो उन्हें 6500-10500 रू. के ग्रेड वाली आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है जैसा कि वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अन्य अधिकारियों को अनुमेय है. इसी तरह यदि किसी रेलवे/उत्पादन इकाई के किसी विभाग में वरिष्ट प्रशासनिक ग्रेड का एक भी अधिकारी है. तो उसे 6500-10500 रू. के स्तर वाली आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.		
(vi) नवसृजित जोनों के विशेष कार्याधिकारियों को किस तरह की आशुलिपिकीय सहायता लागू है.	(vi) नए जोनो में 22400-24500 रू. तथा 18400-22400 रू. के ग्रेडों वाले विशेष कायाधिकारियों को क्रमशः 8000-13500 रू. और 7500-12000 रू. के ग्रेड में आशुलिपिकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.		

(vii) पदोन्नति जारी ह उन आशु समय लिए अनुम

(vii) चूंकि भर्ती नियमों तथा अपग्रेडिड पदों पर पदोन्नति से संबंधित अन्य शर्तों संबंधी अनुदेशों के जारी होने में अभी और समय लगेगा इसलिए क्या उन अधिकारियों जिन्हें उच्चतर ग्रेड की आशुलिपिकीय सहायता अनुमेय है, के साथ इस समय कार्य करने वाले कर्मचारियों को लाभ देने के लिए इन पदों को तदर्थ आधार पर भरने की अनुमति है.	(vii) बोर्ड के दिनांक 30.1.2001 के पत्र सं. ई (जी पी) 2000/2/84 द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं.

(नीरा खुंटिया)
निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड.